रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). मई और जून, 1982 के दौरान सभी भारतीय रेलों पर समय न खोने वाली सवारी गाड़ियों का समय समय पालन इस प्रकार था:-

महीना	समय पालन का प्रतिशत ब्रेड़ी लाइन	मीटर लाइन
मई, 1982	83.0	75.5
जून, 1982	83.0	78.4

महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन पर रेलवे बोर्ड कार्यालय में दिन-प्रतिदिन के आधार पर निगरानी रखी जाती है । गाड़ियों के समय पर चलने से सम्बन्धित मामलों पर महाप्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं । समय-पालन न बनाये रखने के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का पता लगाया जाता है और उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । खतरे की जंजीर खींचने, हौस पाइप अलग करने की घटना तथा बदमाशों की गतिविधियों, जो गाड़ियों के समय पर चलाने में गम्भीर रूप से बाधा डालती हैं । पर काबू पाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

Representation to open a CGHS Dispensary at Gautam Nagar, New Delhi

2299. SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Residents Assocation of Gautam Nagar has represented to the Director General of Health Services for opening of a CGHS dispensary in Gautam Nagar to provide medical facilities for the Central Government employees residing in Gautam Nagar, Gulmohar Park, Niti Bagh, New Delhi and other adjoining colonies as at present there is no CGHS dispensary in these colonies;

(b) if so, what action has been taken so far;

(c) whether Government are considering any proposal to set up a dispensary at Gautam Nagar or Gulmohar Park; and

(d) if so, when the decision is likely to be taken?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Yes.

(b) to (d). These areas are already covered under the CGHS dispensaries at Hauz Khas, Andrews Ganj and Kidwai Nagar. There is no proposal for setting up a new dispensary at Gautam Nagar.

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा के माध्यम का अंग्रेजी में परिवर्तन

2300. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों के नाम क्या हैं जिन्होंने शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम को अपनाया है और उन्हें शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन की अनुमति कैसे मिली और किन अधिकारियों ने उन्हें इसकी अनुमति दी ; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या नीति है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है जिन स्कूलों ने अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया है, उनके नाम अनुबंध में दिए गए हैं ।

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमावली, 1973 के अधिनियम से पहले अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई मना नहीं थी । तथापि, अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के लागू होने से यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई थी कि " जहां किसी विशेष कारण से प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो कि किसी स्कूल के उच्चतर माध्यमिक कक्षा में एक अथवा एक से अधिक अथवा सभी विषयों

में शिक्षा हिन्दी के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती तो वह उस स्कूल को उक्त विषय अथवा विषयों में उस अवधि तक जो वह उपयुक्त समझे, हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दे सकते हैं''। प्रशासक के ये अधिकार और शिक्षा निदेशक को दिए गए हैं, जो ''उपयुक्त प्राधिकरी' भी हैं। मान्यता के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करते समय शिक्षा निदेशक उक्त प्रत्यायोजित अधिकारों का भी प्रयोग कर सकते हैं तथा जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि उस स्कूल में हिन्दी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दे सकते हैं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली के उन स्कूलों के नाम जिन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया है।

1. सहायता प्राप्त सीनियर माध्यमिक स्कूल

1. बंगाली बाल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल
2. दिल्ली यूनाइटिड क्रिस्चियन
3. धनपतमल विरमानी
4. आर० बी० पामरुस मंदिर
5. लक्ष्मीनारायण गुजराती
6. मुखर्जी स्मारक
7. ए० एस० बी० जे० दरियागंज
8. महावीर जैन
9. रामजस नं० 2
10. आन्ध्र शिक्षा समिति
11. डी० ए० वी० पहाड़गंज
12. डी० टी० ई० ए० रीडिंग रोड
13. हरकोट बटलर
14. हीरालाल जैन
15. रायसीना बंगाली
16. रामजस नं० 4
17. नूतन मराठी
18. केरल शिक्षा समिति
19. क्वेरा डी० ए० वी०
20. एस० ई० एस० बावा देवराज
21. डी०सी० आर्य लोधी रोड
22. दिल्ली कन्नड
23. डी० टी० ई० ए० लोधी स्टेट
24. श्यामा प्रसाद विद्यालय
25. एम० बी० डी० ए० वी० वैस्ट, पटेल नगर
26. एस० एम० खालसा, लाजपत नगर

27. बलवन्तराय मेहता
28. वी० वी० बंगाली
29. डी० टी० ई० ए० लक्ष्मी बाई नगर
30. डी० टी० ई० ए० मोती बाग
31. डी० टी० ई० ए० रामाकृष्ण पुरम
32 भाई बाला सिंह
33. डी० टी० ई० ए० पूसा
34. पी० जी० डी० ए० वी० वैस्ट पटेल नगर
35. रामजस नं० 2 आनन्द पर्वत
36. रामजस नं० 5, करौल बाग
37. सलवान बाल
38. एस० जी० टी० बी० पटेल नगर
39. डी० सी० एम० बाल
40. बिरला बाल
41. एंग्लो अरबी
42. एस० जी० एच० के बंगला साहब
43 लेडी इरविन एस० एस० केली रोड
44 विधानचन्द्र विद्यालय एस० एस० एस०, मोती बाग
45 क्वीनमेरी स्कूल
46 यूनियन अकादमी
47 एन० पी० बंगाली
48 जैन समाधोपासक स्कूल
49 नवशक्ति स्कूल
50. एन० पी० एन० स्कूल गोल मार्किट
51. लोरेटो कानवेंट स्कूल दिल्ली कट
52. एस० एस० मोटा सिंह एस० एस० एस० ए० ब्लाक जनक पुरी
53. गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग
54. विद्या भवन, एस एस० एस० शंकर रोड
55. डी० आई० खान स्कूल
56. आर० के० एल० एम० पूसा रोड़
57. सत ब्रह्वान एस० एस० एस० करौल बाग
58. एस० जी० टी० बी० खालसा स्कूल देव नगर
59. रामजस स्कूल बाल नं० 1
60. रामजस स्कूल कन्या नं० 1
61. व्यावसायिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल

II. असहायता प्राप्त सीनियर माध्यमिक स्कूल

1. माउंट फोर्ट अशोक बिहार
2. सैन्ट एक्सवीयर
3. रूप नगर पब्लिक स्कूल
4. ईप्पो स्कूल, दरिया गंज

5. मार्डन बाराखम्बा
6. सैन्ट कोंवलम्बस
7. दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड
8. सरदार पटेल विद्यालय
9. फ्रैंक एन्थानी
10. ब्ल्यू बैल्स
11. बाल भारती एयर फोर्स
12. भारतीय विद्या भवन
13. गुरु हरकिशन
14. नवल स्कूल
15. अपीज स्कूल
16. कैम्ब्रिज स्कूल
17. समर फील्ड
18. दिल्ली पब्लिक स्कूल
19. गुरु हरकिशन, वसन्त बिहार
20. रामजस, आर० के० पूरम
21. जनरल राज
22. मॉड्रन, वसन्त बिहार
23. सैन्ट मैरी
24. आर्मी पब्लिक
25. मदर इंटरनेशनल
26. मीरा मांडल
27. एयर फोर्स सन्ट्रल
28. माउन्ट सैन्ट मरी
29. हंस राज मांडल
30. एन० सी० जिन्दल
31. न्यू इरा
32. कैम्ब्रिज फाउंडेशन
33. बाल भारती पब्लिक
34. जे० डी० टाइटलर
35. मानव संस्थालो
36. रामजस, पूसा रोड
37. सालवान पब्लिक
38. स्प्रिंग डालस
39. हैप्पी मांडल, जनकपुरी
40. सेंट थ्रेसा प्रिजेंटेशन कानवैन्ट (गर्ल्स)
41. कान्वेट आफ जेसेस एण्ड मैरी
42. मोटर दई कानवेंट
43. होली चाइल्ड

44. कारमेल कानवैन्ट
45. मैन्ट एन्थोनी
46. होली चाइल्ड, टैगोर गार्डन
47. सेंट मैकेल
48. सालवान पब्लिक स्कूल
49. सैंट थामस, मंदिर मार्ग

Proposal for subsidising shipments for Indian vessels

2301. SHRI JAGDISH TYTLER: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are examining the possibility of subsidising shipments if these are made in Indian vessels;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when this will come into effect?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) There is no such proposal.

(b) and (c). Do not arise.

सुल्तानगंज में गंगा पर रेल पुल

2302. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भागलपुर जिले (बिहार) के सुल्तानगंज में गंगा पर एक रेल पुल का निर्माण करने की योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पटना जंक्शन के प्लेटफार्म में यात्रियों की भीड़ को कम करने की योजना

2303. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी सेतु (गंगा पुल) के निर्माण के बाद पटना जंक्शन के प्लेटफार्म में यात्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिये क्या योजना बना रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, उत्तर बिहार स्थित अन्य रेल-हैडों से कुछ यात्री यातायात पटना की ओर जाने लगा है ।

(ख) यात्री यातायात के रुख को सदा-ध्यान में रखा जाता है और संसाधनों की तंगी को देखते हुए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

पटना टाटा एक्सप्रेस और पटना मोकामठ पैसेंजर के यात्री डिब्बों को कम करना

2304. **श्री राम विलास पासवान:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना टाटा एक्सप्रैस और पटना मोकामठ पैसेंजर रेल गाड़ियों के यात्री डिब्बे कम किए गए हैं; और